

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :

(क) केन्द्रीय सरकार के जिन पेंशनरों को कम पेंशन मिलती है उनकी पेंशन में पहली अक्टूबर, 1963 से तदर्थ वृद्धि किये जाने की स्वीकृति दे दी गयी है ।

(ख) और (ग). जिन विस्थापित पेंशनरों को पेंशन देने का दायित्व भारत सरकार पर है और जिन्हें कम पेंशन मिलती है उन पर भाग (क) में बताया गया आदेश लागू होता है । इसी प्रकार जिन पेंशनरों को पेंशन देने का दायित्व पाकिस्तान सरकार पर है, उन्हें भी पहली सितम्बर, 1964 से उपर्युक्त लाभ दिया गया है ।

विस्थापित पेंशनर

293. श्री हुसैन चन्द कदवाय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी पेंशनरों की पेंशन 1 अप्रैल, 1958 से बढ़ा दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विस्थापित पेंशनरों को यह वृद्धि 1 जून, 1963 से दी गई है और

(ग) यदि हां, तो विस्थापित पेंशनरों के साथ इस प्रकार का भेद भाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :

(क) जी नहीं । केवल छोटी पेंशनों में परिवर्धित दरों पर अस्थायी वृद्धि 1 अप्रैल, 1958 से मंजूर की गयी है ।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट पेंशनवृद्धि विस्थापित पेंशनरों में से केवल उन लोगों के लिए मंजूर की गयी है जिन्हें पेंशन देने का दायित्व भारत सरकार पर है और जिन्हें कम पेंशन मिलती है । जिन विस्थापित पेंशनरों को पेंशन देने की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार पर है और जिन्हें उनकी पेंशन उस सरकार की ओर से

भारत में दी जा रही है वे उपर्युक्त पेंशन वृद्धि के अधिकारी नहीं हैं, पर उनकी कठिनाई कम करने के विचार से भारत सरकार ने, कृपापूर्वक, अपनी ओर से उन के लिए 1 जून, 1963 से परिवर्धित दरों पर अस्थायी पेंशनवृद्धि मंजूर की है । इसलिए यह रियायत पिछली तारीख से देने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

Coronary Insufficiency

294. { Shri Warior:
Shri Daji:

Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether it has come to the knowledge of Government that West Germany is manufacturing persantin, a new drug to cure Coronary insufficiency; and

(b) if so, whether any steps have been taken to import the drug into India?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). 'Persantin' whose common name is 'Dipyridomole' is indicated in the treatment of various coronary diseases such as Coronary artery disease, Myocardial infarction heart failure etc. The drug claims to produce prolonged dilation of the coronary vessels and is claimed by the manufacturers to "produce a distinct and sustained improvement in the coronary blood flow and ensure ample oxygen supply to the myocardium". The drug is manufactured by M/s C. H. BOEHRINGER SOHN of West Germany.

This drug was clinically tried by investigators in this country, and based on the reports of these trials and those published abroad which indicated that the drug was of value in the treatment of cardiac failure, the Directorate General of Health Services granted permission to its import under Rule 30-A of the Drugs Rules, in April, 1964 to M/s German Reme-